राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.2(7099) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 16 /04505/2019 जयपुर, दिनांक 14.10.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत / पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :–

क.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	543	श्री प्रद्युम्न शर्मा	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिला– बून्दी (राज.)	1.RPSC, Ajmer- Vice Principal-ITI Exam 2018-19
2.	1016	श्री नरेन्द्र सिंह	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पाली (राज.)	1.Central University of Rajasthan - Information Scientist & Section Officer
3.	2023	सुश्री / श्रीमती नीलू कुमारी	कार्यालय कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)	1.RPSC, Ajmer – Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor Gr. II Exam 2018
4.	2884	श्री प्रमीत चौहान	डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर (राज.)	1.Navodaya Vidyalaya Samiti – Librarian Exam 2019
5.	2990	सुश्री / श्रीमती नेहा आरोड़ा	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), हनुमानगढ	1.UGC-Net Exam Dec. 2019
6.	3411	श्री नवीन कुमार आनन्दकर	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	1.RPSC, Ajmer - Public Relation Officer Exam- 2019 2. NTPC Railway Exam - 2019
7.	4041	सुश्री / श्रीमती पूजा मीना	कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, दौसा	1.Junior Engineer Exam - 2019 2.RSMSSB, Jaipur –Tax Assistant Exam – 2018 3.NTPC Railway Exam – 2019
8.	W-13	श्री प्रशान्त कुमार विजय	कार्यालय उप–पंजीयक षष्टम्, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर	1.SBI – Specialist Cadre Officer Tester (GMGS-I) Exam 2019
9.	2018 Batch	सुश्री / श्रीमती प्रतिभा चौधरी	कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जोधपुर	1.IBPS, PO (Pre.) Exam -2019

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Contd---2

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
Contd-- आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(7099) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 16 / जयपुर ,दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. संबधित विभागाध्यक्ष.......................।
2. संबधित कर्मचारी..............................।
3. निजी / रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव